नाबार्ड

बाह्य परिपत्र सं. 47/डॉस- 11 /2019-20 27 फरवरी 2020

संदर्भ सं.राबैं.डॉस/पॉल/ 3437/जे-1/2019-20

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय,

<u>एनपीए वर्गीकरण में भिन्नताएँ - नाबार्ड के निरीक्षण टीम का प्रेक्षण</u>

बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी अनुपालन का टेस्ट-चेक करती हैं. इस दौरान पायी गई भिन्नताओं का खाता-वार ब्यौरा निरीक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में रिकॉर्ड करके बैंकों को जारी किया जाता है.

2. इस संबंध में, यह पाया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में इन भिन्नताओं को रिकॉर्ड किए जाने के बावजूद और अगले वित्त वर्ष के अंत में इन खातों के अनर्जक खाता के रूप में बने रहने के बावजूद कुछ बैंक/ सांविधिक लेखापरीक्षक अगले वित्त वर्ष के अंत में लेखा बहियों को अंतिम रूप देते समय इन आस्तियों का सही वर्गीकरण नहीं करवाते हैं.

3. तदनुसार, हम सूचित करते हैं कि बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में इंगित भिन्नता संबंधी ब्यौरों को अपने बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ साझा करें ताकि बैंक की लेखाबहियों में वित्तीय स्थिति की सत्य और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके. इससे सांविधिक लेखापरीक्षकों को इन खातों और उसी शाखा और बैंक के अन्य शाखाओं में इस प्रकार के अन्य खातों के वर्गीकरण और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की लेखाबहियों में इनके लिए सही प्रावधान किए जाने की जांच करने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.• टेलि.: +91 22 2653 0017• फैक्स : +91 22 2653 0103• ई-मेल : dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.• Tel.: +91 22 2653 0017•Fax : +91 22 2653 0103•E-mail : dos@nabard.org

4. आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र की एक प्रति अपने बैंक के सांविधिक लेखा टीम के साथ साझा करें.

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें.

भवदीय

के.एस.रघुपति

(के.एस.रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक